vYidkyhu uhykeh lpuk

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र सैदपुर (ललितपुर) जो ललितपुर से लगभग 48 कि0मी ललितपुर मडावरा रोड़ पर स्थित है। मण्डलीय क्रय–विक्रय परिषद द्वारा दिनॉक 04.10.2017 को दिन के 11 बजे प्रक्षेत्र के निम्नलिखित वियचित गौवंषीय पशुओं एवं कैम्प ब्लाक के अमरूद ,करौदा, नीबू के फलों की नीलामी द्वारा विक्रय किया जायेंगा । पशुओं का विवरण निम्न प्रकार हैः–

Ø0l0	fooj.k	la[;k
1-	हरियाणा गाय	18
2-	हरियाणा ओसर	28
3-	हरियाना बछिया	15
4	हरियाना बछड़े	7
5	dEi Cykd के अमरूद ,नीबू, करौदा फलों की नीलामी	&
	;ksx%&	68

uhykeh dh eq[; 'krsZ fuEuor gS% &

1. नीलामी में पशुओं की बोली बोलने से पूर्व गाय 10000/–तथा बछियों की 3000/– एवं अमरुद बाग बहार हेतु रू0 15000/–अग्रिम धरोहर राशि के रुप मैं जमा करनी होगी ।
2. बोलीदाता को धरोहर राशि के साथ आधारकार्ड अथवा पहचान पत्र की छायाप्रति स्वप्रमाणित एवं मोवाइल नम्बर देना होगा।
3. जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी उसे पूरा धन जमा कर पशु को अपने साधन से तुरन्त अपने क्षेत्र ले जाना होगा ।
4. जो व्यक्ति बोली छूटने पर धन जमा करने से विमुख होगा तो उसकी धरोहर की धनराशि राजहित में जब्त कर ली जायेगी ।
5. पशुओं की संख्या घट बढ़ सकती है।
6. पशु के साथ कोई भी रस्सी /जंजीर नहीं दी जायेगी ।
7. क्रय विक्रय परिषद को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी बोली को या समस्त बोली को अस्वीकार कर सकता है।
8. नीलामी में क्रय किये गये पशुओं को प्रक्षेत्र से उठाते समय अपने परिचय पत्र की छायाप्रति देनी होगी। यह शर्तनामा भर कर देना होगा कि क्रय किये गये पशु को गोवध हेतु विक्रय नही करेंगे।
9. बाग हेतु अनुबन्ध पत्र 100/–रुपये के स्टाम्प पेपर पर भरना होगा जो स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा तभी वह फल तोड़ने का अधिकारी होगा।
10. बाग की स्वीकृत बोली का 10 प्रतिशत धनराशि का एफ.डी.आर. जमानत के रुप मैं उपनिदेशक(प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ के नाम प्राधि होगा।
11. अमरूद, नीबू, करौदा के फलों के तोड़ने की अवधि 31.05.2018 को स्वतः समाप्त हो जायेगी।
12. उच्चतम बोली दाता की बोली स्वीकार होने पर नीलामी की आधी धनराशि को तुरन्त जमा करनी होगी शेष आधी धनराशि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने पर फल तोड़ने से पूर्व जमा करनी होगी तथा सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् तभी वह फल तोड़ने का अधिकारी होगा।
13. ठेकेदार द्वारा बाग/पेड़ों की कोई क्षति नहीं की जायेगी। केवल वह फल तोड़ेगा अन्यथा क्षति होने पर उसके विरुद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अमरूद बाग नीलामी अवधि के दौरान बाग के कार्य, रखरखाव, सिंचाई, चौकीदारी, सुरक्षा, दवा आदि की पूर्ण जिम्मेदारी बाग क्रेता की होगी ।
14. मण्डी शुल्क जो मान्य होगा वह क्रेता को देना होगा।
15. सषर्त बोली मान्य नही होगी।
16. नीलामी सम्बन्धी अन्य जानकारी किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

¼,l-,u-flag½
प्रक्षेत्र प्रबन्धक
सैदपुर,ललितपुर